हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
20-9-22 वकील वादी व लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधी उप0। वादि साक्ष्य प्रतिवादी पत्रा0 दि0 1-11-22 को पेश हो।	
1-11-22 वकील वादी व लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधी उप0। वादि साक्ष्य प्रतिवादी पत्रा0 दि0 15-11-22 को पेश हो।	
15-11-22 वकील वादी व लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप0। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर की ओर से कोई साक्ष्य नहीं कराई गई है। अतः प्रतिवादी के जवाब को साक्ष्य मानते हुए वादि व हाथ बहस पत्रावली दि0 29-11-22 को पेश हो।	
29-11-2022 वकील वादी व लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप0। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि0 13-12-2022 को पेश हो।	
13-12-2022 वकील वादी व लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधी उप0 है। वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील, जिला रिकार्ड में जमा हो।	
उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
156/2008	10.11.2008	13.12.2022

नाजिमुद्दीन पुत्र गुलाब जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां (मृतक)

1/1. इकराम	पुत्रान नाजिमुद्दीन
1/2. इकबाल	जाति मुसलमान
1/3. असलम	निवासी उदेईकलां
1/4. इन्तजार	तहसील गंगापुर सिटी
1/5. जावेद	
1/6. इमरान	

——वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :—श्री बीरबल गुर्जर, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी के प्रतिनिधि

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादी ने इस आशय का पेश किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 422 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा ग्राम उदेईकलां में स्थित है। यह भूमि दिनांक 28.6.1975 को वादी को आवंटित हुई थी। आवंटन के समय से ही भूमि पर कब्जा वादी का चला आ रहा है एवं अब भी काबिज हैं। यह भूमि वादी की कब्जे व खातेदारी की भूमि है। तहसील गंगापुर सिटी में भू—प्रबन्ध कार्यो के दौरान साबिक ख0नं0 422 का बटा नम्बर 422/1 डालकर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2832 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 2833 रकबा 0.35 है0 बना दिए तथा इन्हें सिवायचक दर्ज कर दिया। भू—प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा रिकार्ड में बिना कानून के अवैध रूप से हेराफेरी कानून के विपरीत है तथा शुरू से ही एवइनिशिओ वोइड है एवं निरस्त होने योग्य है। साबिक ख0नं0 422 से बने हाल ख0नं0 2832 व 2833 पर मौके पर वादी अब भी काबिज है। दिनांक 20.8.2008 को वादी ने किसान कार्ड बनवाने हेतु जब पटवारी से [illegible] पटवारी ने बताया कि भूमि वादी के खाते में नहीं है, सिवायचक है। इसके बाद वादी ने भूमि का रेकार्ड इकत्रित किया एवं यह दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि आराजी हाल ख0नं0 2832 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 2833 रकबा 0.35 है0 ग्राम उदेईकलां को नहरी ।। से निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:09 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

कर वादी की खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा दावा वादी इस प्रकार डिक्री किया जावे कि वादी उपरोक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है, वादी को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं हाल रिकार्ड में दुरूस्ती कर यह भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया ।

प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे में वादीगण के दावे को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि साबिक ख0नं0 422 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा ग्राम उदईकलां दिनांक 28.6.1975 वादी को आवंटित हुआ है। सेटलमेन्ट के बाद ख0नं0 422 का नम्बर 422/1 डालकर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल ख0नं0 2832 रकबा 0.27 है0 तथा 2833 रकबा 0.35 है0 सिवायचक दर्ज है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.6.75 प्रदर्श–1, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, नकल साबिक नक्शाट्रेस प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 प्रदर्श–5 प्रस्तुत किए हैं एवं वादी असलम पी0डब्लू0 1, गवाह मुमताज पी0डब्लू0 2 के बयान कराए हैं।

जबाब दावा के समर्थन में प्रतिवादी लैण्ड होल्डर ने अपने जबाब के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल हाल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2075 से 2078 प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान वकील वादी व प्रतिनिधि लैण्ड होल्डर सुनी गई।

वादी के विद्वान वकील ने अपने दावा के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता नाजिमुद्दीन की आवंटनशुदा एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। भूमि आवंटन के समय से ही भूमि पर वादीगण के पिता का एवं पिता की मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि को सिवायचक से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे।

लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि का कथन है कि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है इसलिए दावा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:09 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.6.1975 प्रदर्श–1 के अनुसार ग्राम उदेईकलां की भूमि ख0नं0 422 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा नाजिमुद्दीन पुत्र गुलाब मुसलमान निवासी उदेईकलां को आवंटित हुई है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 के अनुसार भूमि साबिक

कलेक्टर

नाजिमुद्दीन बनाम लैण्ड होल्डर, दावा

(3)

ख0नं0 422/1 से हाल ख0न0 2832 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 2833 रकबा 0.35 है0 बना है जो नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064 प्रदर्श–5 के अनुसार राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज है। वादीगण इन दोनों नम्बरों की खातेदारी चाहते हैं परन्तु इस भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में वादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा जबाब दावा के साथ प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सं0 2075 से 2078 के अनुसार भी उपरोक्त वर्णित भूमि बंजड पडी है एवं इन नम्बरों पर कोई काश्त नहीं दर्शाई गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा प्रमाणित नहीं होने के कारण वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वादग्रस्त भूमि ख0न0 2832 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 2833 रकबा 0.35 है0 ग्राम उदेईकलां पर कब्जा प्रमाणित नहीं होने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:09 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

नाजिमुद्दीन पुत्र गुलाब जाति मुसलमान निवासी उदेईकलां (मृतक)

1/1. इकराम	पुत्रान नाजिमुद्दीन
1/2. इकबाल	जाति मुसलमान
1/3. असलम	निवासी उदेईकलां
1/4. इन्तजार	तहसील गंगापुर सिटी
1/5. जावेद	
1/6. इमरान	

——वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नं. – 156/2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बीरबल गुर्जर, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी के प्रतिनिधि मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वादग्रस्त भूमि ख0न0 2832 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 2833 रकबा 0.35 है0 ग्राम उदेईकलां पर कब्जा प्रमाणित नहीं होने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.12.2022 को जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प [illegible]		
महनताना वकील			महनताना [illegible]		
खर्चा गवाहान			खर्चा [illegible]		
फीस कमिश्नर			फीस [illegible]श्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:09 IST
Reason: SelfAttested